

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 438]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 8 नवम्बर 2021—कार्तिक 17, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2021

क्र. एफ-ए-3-18-2021-1-पांच-(73).—मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (इस अधिसूचना में इसके बाद जिसे “उक्त अधिनियम” से संदर्भित किया गया है), की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वस्तु जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्षक, शीर्षक या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो के अंतर्गत आती है, को उक्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत उस पर लगाए जाने वाले उतने राज्य कर से छूट देती है जो की उक्त सारणी के कॉलम (4) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से संगणित राशि से अधिक है, यथा:—

सारणी

क्रम संख्या (1)	अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद (2)	वस्तु का विवरण (3)	दर (4)
1	30	टोसील्लिजुमैब	शून्य
2	30	एम्फोटेरिसिन बी	शून्य
3	30	रेमडेसिविर	2.5%
4	30	हेपरिन (एंटी-कौयगुलांट)	2.5%
5	30	इटोलिजुमाब	2.5%
6	30	पॉसकोनाजोल	2.5%
7	30	इनफ्लिक्सिमैब	2.5%
8	30	बामलानिविमाब और एतेसेविमाब	2.5%
9	30	कासिरिविमाब और इम्देवीमाब	2.5%
10	30	2-डिओक्सी-डी-ग्लूकोज	2.5%
11	30	फेविपिराविरि	2.5%

2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी और 31 दिसंबर, 2021 तक लागू रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2021

क्र. एफ-ए-3-18-2021-1-पांच-(73).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-18-2021-1-पांच-(73), दिनांक 8 नवम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 8th November 2021

No. F-A-3-18-2021-1-V (73).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter in this notification referred to as "the said Act"), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby, exempts the goods specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, from so much of the state tax leviable thereon under section 9 of the said Act, as is in excess of the amount calculated at the rate as specified in corresponding entry in column (4) of the aforesaid Table, namely:—

TABLE

Sl. No. (1)	Chapter, Heading, Sub-heading of Tariff item (2)	Description of Goods (3)	Rate (4)
1	30	Tocilizumab	Nil
2	30	Amphotericin B	Nil
3	30	Remdesivir	2.5%
4	30	Heparin (anti-coagulant)	2.5%
5	30	Itolizumab	2.5%
6	30	Posaconazole	2.5%
7	30	Inflixmab	2.5%
8	30	Bamlanivimab & Etesevimab	2.5%
9	30	Casirivimab & Imdevimab	2.5%
10	30	2-Deoxy-D-Glucose	2.5%
11	30	Favipiravir	2.5%

2. This notification shall come into force from the 1st day of October, 2021 and remain in force up to and inclusive of the 31st December, 2021.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.